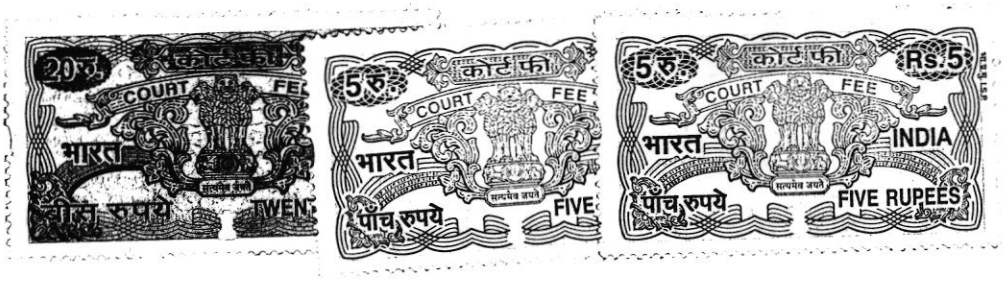

(56)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्र0 क्र0 /17–18/ निगरानी I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1594

भुजवलसिंह पुत्र गुलाबसिंह रघुवंशी निवासी ग्राम मूंडरा पीतम्बर तहसील नटेरन जिला विदिशा म0प्र0.......................................आवेदक

बनाम

सुशीला बाई वेवा दातारसिंह हरनामसिंह निवासी ग्राम मूडंरा पीतम्बर हाल निवासी इन्दौर म.प्र...अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय नटेरन जिला विदिशा को अपील क्र0 43/16–17 में पारित आदेश दिनांक 27/2/2018 के विरूद्ध

श्री आर.एस. ... द्वारा प्रस्तुत ...
7/3/18
c.f. 20/3/18
7/3/18

7-3-18

माननीय महोदय

<u>उपरोक्त प्रकरण में आवेदक की ओर से</u> <u>निगरानी इस प्रकार है:–</u>

1. यह कि आवेदक एंव अनावेदिका के मध्य अनुविभागीय अधिकारी तहसील नटेरन जिला विदिशा के समक्ष वसियत के आधार पर हुये नामांतरण आदेश दिनांक 30/06/17 के विरूद्ध अपील विचाराधीन है। एंव इन्ही पक्षकारों के मध्य एक सिविल वाद क्र. 24/1/18 सिविल न्यायालय बासौदा में विचाराधीन है।
2. यह कि मृतक हरनाम सिंह के उत्तराधिकारी के विनिश्चय के लिये सिविल न्यायालय सक्षम है तथा सिविल न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है।
3. यह कि आवदेक के राजस्व न्यायालय की कार्यवाही को सिविल न्यायालय के निर्णय तक रोकने के लिये एक आवेदन धारा 37 म.प्र. भू.रा.सं. एवं धारा 10 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत अपील प्रकरण स्थगित करने की प्रार्थना की थीं।
4. यह कि अनु.विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पर यह आदेश पारित किया है कि दोनो प्रकरणो की विषय वस्तु एक नही है, तथा सिविल न्यायालय द्वारा अपील

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1594

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने धारा-32 व 10 सीपीसी का आवेदन अस्वीकार करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया है। उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सिविल न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नहीं दिया है तथा दोनों प्रकरणों की विषय-वस्तु भिन्न है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप को कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। आवेदक को गुण-दोष पर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। परिणामस्वरूप यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	